COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(130)

पुनरीक्षण (रिव्हिज़न) अर्ज
अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू. रा.सं. 1959

रिव्ही. प्र.क्र 2434-PB/2016

न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल

म.प्र. ग्वालियर की खण्डपीठ, स्थान– इंदौर के समक्ष

1) राजेन्द्र कुमार सोनी पिता स्व. श्री रामचन्द्र सोनी, आयु 50 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी ग्राम–काटकूट, पोस्ट–काटकूट, तहसील–बड़वाह, जिला–खरगोन (म.प्र.)

.... आवेदक (रिव्हिज़नकर्ता)

विरुद्ध

1) गीताबाई सोनी पिता स्व. श्री पन्नालाल सोनी, पति कन्हैयालाल सोनी, निवासी–बड़वाह,तहसील–बड़वाह जिला खरगोन (म.प्र.)

......अनावेदक (रेस्पाण्डेन्ट)

विषयः– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वाह जिला खरगोन द्वारा पारित पुनर्विलोपन आदेश दि. 19.5.2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण (रिव्हीजन) याचिका।

मान्यवर महोदय,

यह पुनर्निक्षण याचिका (रिव्हीजन), अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व बड़वाह सह तहसीलदार बड़वाह के न्यायालय में पंजीबद्ध पुनर्विलोकन (अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.1959) प्रकरण क्र. 01/पु.वि./015–016 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19.5.2016 से व्यथित होकर आवेदक रिव्हीजनकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका न्याय प्राप्ति की प्रत्याशा में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष सादर प्रेषित व निवेदित है कि –

अ) रिव्हिजन के प्रक्रियात्मक आधार –

1) यह कि उक्त रिव्हिज़न समयावधि में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग बड़वाह के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.5.2016 की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद नियत समयावधि में माननीय न्यायालय में सादर प्रेषित है।

2) यह कि उक्त रिव्हिज़न माननीय न्यायालय के विधिक क्षेत्राधिकार एवं विधि द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत विचारण योग्य है।

3) येह कि उक्त रिव्हिज़न अर्ज नियत न्याय शुल्क में पेश है।

4) यह कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह के आलोच्य आदेश दिनांक 19.5.2016 की प्रमाणित प्रति अनुलग्नक पी–1, एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख क्रमशः अनुलग्नक पी–2 से पी–12 तक संलग्न प्रेषित है।

निरन्तर ...2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2434–पीबीआर/16 **जिला खरगोन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–1–2018	आवेदक राजेन्द्र सोनी स्वयं उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता मोहन शर्मा उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन के संबध में प्रस्तुत की गई थी । नायब तहसीलदार के द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 28–9–2016 को पारित किया जा चुका है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी दिनांक 9–5–2017 से निराकृत की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अब इस निगरानी को आगे सुने जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	